न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:— 16 / 2025 तारीख रजू:—14.08.2025

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2025 / 292

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. श्योजी कल्याण कुम्हार निवासी पार्वती नगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. सीता पुत्री कल्याण पत्नि शंकर कुम्हार, निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. गीता पुत्री कल्याण पत्नि सीताराम कुम्हार, निवासी रतनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लादू पुत्र चन्दा
2. बद्री पुत्र चन्दा
3. घनश्याम पुत्र बद्री
4. रमेशचन्द पुत्र बद्री
5. हरसहाय पुत्र बद्री
6. रामधन पुत्र लादू
7. पप्पू पुत्र बजरंगा
8. रामेश्वर पुत्र बजरंगा
9. विश्रामी पत्नि हेमराज
10. महेश पुत्र हेमराज नाबालिग जरिये संरक्षक माता विश्रामी
11. विष्णु पुत्र हेमराज नाबालिग जरिये संरक्षक माता विश्रामी
12. कैलाश पुत्र श्रीनारायण
13. रामविलास पुत्र श्रीनारायण
14. मुकेश पुत्र रामसहाय
15. रामनिवास पुत्र माधो
16. राजाराम पुत्र बद्री
17. शोभाराम पुत्र बद्री
    समस्त जातियान कुम्हार निवासीयान पार्वती नगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
18. गडूली पुत्री बद्री पत्नि बाबूलाल कुम्हार, निवासी हरचनेड़ा, तहसील व जिला टोंक।
19. प्रेमचन्द पुत्र रामनारायण रैगर निवासी रैगर मौहल्ला, शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
20. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित::—

वकील वादीगण :— श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19:— श्री अब्दुल व[illegible] एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक:—18.02.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (1) व (2) आर0 टी0 एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

- प्रार्थीगण ने श्रीमान् के न्यायालय में उक्त प्रार्थना से पूर्व एक वाद पत्र मय टी. आई. प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है जिसमें न्यायालय ने दिनांक 06.12.2024 को विपक्षी को भूमि अन्तरण (रहन, बेचान) ने करने को पाबंद किया है।

- प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1267. 1268, रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा के बंदोवस्त के बाद नवीन खाता संख्या 614 खसरा नम्बर 3130 रकबा 0.75 है0, 3131 रकबा 0.75 है0. 3132 रकबा 0.75 है0 3133 रकबा 0.35 है०, 3135 रकबा 0.43 है0, 3138 रकबा 0.43 है0 3139 रकबा 0.45 है०, कुल किता 8 रकबा 04.26 है० तथा खाता संख्या 615 खसरा नम्बर 3136 रकबा 0.08 है0, 3137 रकबा 0.08 है0, 3140 रकबा 0.04 है0, 3141 रकबा 0.16 है0, 3144 रकबा 0.06 है०, कुल किता 05 रकबा 0.42 है० बने है।

- फत्या के मॉग्या, चन्दा व माधो के अलावा अन्य कोई चौथी पुरुष संतान नही थी किन्तु जमाबंदी 2013–16 में गंगल्या को फत्या का पुत्र बताये जाने का गलत अंकन है जो विवाद का बडा कारण बन गया। चूँकि प्रार्थीगण के पिता व प्रपिता मॉग्या निरक्षर ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे उन्होने इस गलत अंकन की गंभीरता को नही समझा और अपनी खातेदारी की भूमि 17 बीघा 13 बिस्वा को निर्बाध रूप से काश्त करते रहे।

- जमाबंदी में गंगल्या के नाम का अंकन गलत हो गया जबकि गंगल्या या मंगल्या पुत्र फत्या नाम का कोई व्यक्ति गांव में मौजुद ही नही था। जमाबंदी में इस गलत अंकन का दायरा कतिपय राजस्व कर्मियो की लापरवाही व उपेक्षा से धीरे–धीरे गहरता रहा। इसी दौरान राजस्वकर्मियो ने मॉग्या व गंगल्या या मंगल्या के फोत होने का नामांतरकण संख्या 637 दिनांक 10.03.1980 की सूचना ग्राम पंचायत शिवाड को दी और मॉग्या व कथित गंगल्या या मंगल्या के गलत वारिसान बनाकर ग्रांम पंचायत से नामांतकरण संख्या 637 गलत व आधारहीन तथ्यो के आधार पर तस्दीक करवा लिया।

- आलोच्य नामांतकरण संख्या 637 दिनांक 10.03.1980 को तथ्यो से विपरीत तस्दीक किये जाने से प्रार्थीगण के हक व खातेदारी अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो गये। आलोच्य नामांतकरण में मॉग्या के फोत होने पर उसका एकमात्र पुत्र कल्याण ही सारी सम्पति का उतराधिकारी था किन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मियो व ग्गाम पंचायत की मिलिभगत से एकमात्र असल पुत्र कल्याण के अलावा बद्री, लादू श्रीनारायण, बजरंगा, रामनिवास को भी मॉग्या का पुत्र बताकर उनके नाम विरासत का नामांतकरण खोल दिया।

- ग्राम पंचायत व राजस्वकर्मियो की मिलिभगत से गलत विरासत खोलने का सिलसिला यही नही थमा बल्कि उन्होने साबिक जमाबंदी 2013–2016 में जिस व्यक्ति गंगल्या को गलत ढंग से फत्या का पुत्र होना बताया था उसका नाम आलोच्य नामांतकरण संख्या 637 में गंगल्या से बदलकर मंगल्या कर दिया और उसकी एकमात्र पत्नि झूमी को जीवित मानकर नामांतरण संख्या 637 दिनांक 10.03.1980 स्वीकृत कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

- प्रार्थीगण के पिता कल्याण व प्रपिता मॉग्या अपने पिता की इकलौती संतान थी उनके न कोई गंगल्या या मंगल्या भाई था और न ही मॉग्या के बद्री, लादू, श्रीनारायण व बजरंगा व रामनिवास

- उत्तराधिकारी थी। लादू, बद्री, फत्या के दूसरे पुत्र चन्दा की औलाद है, वही श्रीनारायण, बजरंगा, रामनिवास फत्या के पुत्र माधो की संतान थे।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ साबिक जमाबंदी सम्वत् 2013–2016 की प्रविष्टि व नामांतकरण संख्या 637 में उत्तराधिकारीयो के नाम भरे जाने से पूर्व ग्राम पंचायत या राजस्वकर्मियों ने किसी भी तरह की कोई जांच व साक्ष्य नहीं ली यहाँ तक कि मॉग्या व कथित गंगल्या या मंगल्या की मृत्यु का कोई अधिकृत प्रमाण दिनांक आदि का भी कोई हवाला नही दिया। राजस्व कर्मियों व ग्राम पंचायत की यह लापरवाही प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो में एक गंभीर त्रुटि बनकर उभरी है जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया।

❖ गलत अंकन का सिलसिला यही जांकर नहीं रूका बल्कि गलत विरासत के अंकन का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी लादू, बद्री तथा झूमा के वारिसान अप्रार्थी संख्या 16,17,18 ने प्रार्थीगण के अधिकार की आराजीयात को अपनी असली वल्दियत को छिपाते हुये ओने–पोने दामो में चुपचाप बेचने का सौदा कर लिया।

❖ कथित मंगल्या की पत्नि झूमा को भी फोत बताते हुऐ दिनांक 08.02.2022 को विरासत का नामांतकरण 1312 बिना किसी जांच व साक्ष्य के भरा गया इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय तथ्य यह कि झूमा के एकमात्र पुत्र बद्री को भी फोत होना बताते हुए बद्री की पुत्री गडूली पुत्र राजाराम व शोभाराम के पक्ष में विरासत खोली गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साबिक जमाबंदी में जो गंगल्या के नाम की प्रविष्टि की थी वह फत्या का पुत्र न होकर रोहू का पुत्र था जिसके न तो झूमा पत्नि थी और न बद्री पुत्र था। इस तरह सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी व गलत होने से नामांतकरण संख्या 1312 दिनांक 07.03.2022 निरस्त होने योग्य है।

❖ अप्रार्थी ब्रदी व लादू जो कि चन्दा के पुत्र है ने गलत बल्दियत से खाते आयी वादीगण की आराजीयात को दीगर व्यक्तियो के नाम खुर्द–बुर्द करने के उद्देश्य से हाल ही में दिनांक 12.06.224 को अपनी असल बल्दियत की पहचान छिपाते हुए मॉग्या के पुत्र बनकर प्रार्थीगण के हक व अधिकार की खाता संख्या 614, 615 वाके ग्राम शिवाड की जमीन को अपने पुत्र रामधन कुम्हार पुत्र लादू, घनश्याम पुत्र बद्री, मुकेश पुत्र रामसहाय, हरसहाय पुत्र बद्री, रमेश पुत्र बद्री के नाम विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवा दिया जिसका बुक नम्बर 1, वोल्यूम नम्बर 69, पेज नम्बर 42 कमाक 202403491100694 दिनांक 12.06.2024 का अंकन है। जो प्रार्थीगण की हिस्से व अधिकार की भूमि को राजस्व रिकोर्ड में गलत अंकन का बेजा लाभ उठाकर फर्जी तरीके से बेचा गया है जो प्रार्थीगण के अधिकारो के मुकाबले एब इनिशियो नल एण्ड वोईड होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

❖ इसी तरह कथित झूमा पत्नि मॅगल्या के वारिसान गडूली, राजाराम, शोभाराम ने राजस्व रिकोर्ड में गलत अंकन का अनुचित लाभ उठाकर खाता संख्या 614, 615 ग्राम शिवाड में अपना कथित हिस्सा अप्रार्थी संख्या 19 प्रेमचंद रैगर को दिनांक 10.03.2022 को विक्रय कर दिया। उक्त पंजीकृत विकय पत्र बुक नम्बर 1. वोल्यूम 49, पेज नम्बर 111 कम संख्या 202203491100526 पर दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण के हक अधिकारो के मुकाबले एब इनिशियो नल एण्ड वोईड है जो निरस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

❖ अप्रार्थी बद्री व लादू के पिता का न[illegible] व श्रीनारायण, बजरंगा, रामनिवास के पिता का नाम माध[illegible] है तथा इसी नाम से उनकी पैत्रक भूमि का [illegible] में है इस सम्बन्ध में जमाबंदी खाता संख्या 148 सम्वत् 2075–2078 [illegible] पीपल्या से प्रार्थीगण के तथ्यो की पुष्टि होती है।

❖ अप्रार्थीगण इस बात से बखूवी वाकिफ है कि वे कानून से आँख मिचोली करते हुए अलग–अलग जगह पर अलग–अलग वल्दियत लगाकर दोहरा लाभ प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

करते रहे है। इस सम्बन्ध में दिनांक 18.06. 2018 को अप्रार्थी बद्री, लादू ने अपने आपको चन्दा का पुत्र बताते हुए मुझ प्रार्थी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 143 पार्वती नगर की 0.74 है0 भूमि का 1/3 हिस्से का पंजीकृत विकय पत्र करवाया। उक्त विकय पत्र दिनांक 20.06.2018 को उपपंजीयक चौथ का बरवाडा के यहां बुक नम्बर 1, वोल्यूम 14, पेज नम्बर 15 पर पंजीकृत है।

❖ इस तरह अप्रार्थीगण का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दोहरा कृत्य करने के तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से बखूवी साबित होते है जिससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि अप्रार्थी लादू, बद्री मॉग्या के पुत्र न होकर चन्दा के पुत्र है तथा रामबिलास, कैलाश, रामेश्वर, हेमराज, पप्पू के भी प्रपिता मॉग्या न होकर माधो ही वास्तविक पूर्वज है।

❖ विपक्षीगण की तामिल दिनांक 06.12.2024 को हो गई थी उसके बाद उन्हे जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर मिल गया किन्तु 8 माह की लम्बी अवधि के बाद भी मूलवाद व प्रार्थना पत्र में जवाब पेश नही किया। इस बीच विपक्षीगण कानूनी लडाई लडने के बजाय मौके पर प्रार्थीगण की उक्त भूमि को व उसमें बोई फसल को नष्ट करने व उसमें नुकसान पहुँचाने का कृत्य कर रहे है।

❖ प्रार्थी नम्बर 1 जो की करीब 73 वर्ष का वृद्ध व अशक्त व्यक्ति है तथा शेष दोनो प्रार्थी महिलाए है जो अपने ससुराल में रहती है इसी स्थिति का बेजा फायदा उठाते हुए विपक्षीगण ऐलानिया प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को छीनने व खेत व फसलो को नष्ट करने का कृत्य कर रहे है।

❖ विगत फसल वर्ष में प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात मे सरसो की फसल बोई तथा उन्ही के द्वारा काटी गई उसके बाद प्रार्थीगण ने ही फसल काटने के बाद जून 2025 में खेतो में खरार करके छोड दिया था तथा जुलाई माह में बरसात के बाद खाता नम्बर 614, 615 की सभी आराजीयात जो एक चक के रूप में स्थित है तिल की फसल बोई थी जिसे विपक्षीगण में अंकुरित होने से पूर्व ही उचींद दिया।

❖ इस घटना के बारे में प्रार्थीगण ने पुलिस थाना चौथ का बरवाडा एसपी सवाई माधोपुर व जिला कलेक्टर को परिवाद व ज्ञापन दिये किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से विपक्षीगण के हौसले बढ़ते जा रहे है।

❖ उक्त खेतो में तिल की फसल उचींदने के बाद प्रार्थीगण ने जुलाई माह के मध्य में बाजरे की फसल बोई थी जिसे भी विपक्षीगण ने दिनांक 11./8/2025 को रात्रि मे ट्रेक्टर चलाकर नष्ट कर दिया तथा खेत की सुरक्षा के लिए जो मिट्टी की ढोल व चीरे, तार लगाये थे तोड दिये। इस घटना की भी प्रार्थीगण ने पुलिस थाना चौथ का बरवाडा, एसपी सवाई माधोपुर व जिला कलेक्टर को शिकायत की किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

❖ इस तरह प्रार्थीगण के शारीरीक व आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण विपक्षीगण के हौसले बढे हुए है और विपक्षीगण द्वारा आने वाली फसल के वक्त प्रार्थीगण का कब्जा जबरन छीनकर खेत पर कब्जा करने का पूरा पूरा अंदेशा है जिससे मौके पर विवा[illegible] होने व फसल नष्ट होने की पूरी पूरी संभावना है।

❖ प्रार्थीगण कमजोर तब[illegible]वृद्ध महिलाए है जिन्हे न्यायालय से संरक्षण नही मिला तो विपक्षीगण बाहुबल[illegible] आधार पर कानूनी प्रकिया पर हावी हो जायेगे। इसलिए मौके की स्थिति व प्रार्थीगण की कमजोर स्थिति को देखते हुये खाता संख्या 614, 615 पटवार हल्का शिवाड ए. को कब्जे राज में लेकर उस पर रिसीवर नियुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ अतः प्रार्थना पत्र रिसीवर मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि खाता संख्या 614, 615 पटवार हल्का शिवाड की समस्त आराजीयात को कब्जे राज में लिया जाकर तहसीलदार चौथ का बरवाडा को रिसीवर नियुक्त किया जावे तथा उक्त भूमि का रखरखाव कर [illegible] करने के निर्देश दिये जावे। साथ ही यदि दौराने प्रार्थना पत्र [illegible] या भूमि को छीनकर कब्जा करने में सफल हो जावे तो [illegible] को उक्त भूमि का कब्जा वापिस दिलाया जावे तथा प्रार्थीगण की बेकब्जगी [illegible] की अवधि का नुकसान का मुआवजा भी विपक्षीगण से दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक लगायत 19 ने अपना जवाब पेश किया है कि –

✓ फत्या के 03 पुत्र होना स्वीकार है। प्रार्थीगण के पिता कल्याण व कल्याण के पिता तथा कथित मांग्या से अकेले प्रार्थीगण का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है।

✓ नामान्तरकरण संख्या 637 का तस्दीक होना स्वीकार है।

✓ प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मिन विपक्षीगण को हैरान परेशान करने की गरज से किया है, जो निरस्त योग्य है।

✓ प्रार्थीगण एवं मिन विपक्षीगण का सजरा परिवार निम्न प्रकार है–

फत्ता (फोत)

- चन्द्रा पुत्र (फोत)
  - कल्याण (पुत्र)
  - बद्री (पुत्र)
    - श्योजी (पुत्र)
    - गीता (पुत्री)
    - सीता (पुत्री)
  - लादू (पुत्र)
- मांग्या पुत्र (लाऔलाद फोत)
- माधो पुत्र (फोत)
  - रामनिवास (पुत्र)
  - बजरंगा पुत्र(फोत)
    - पप्पू (पुत्र)
    - रामेश्वर (पुत्र)
    - हेमराज पुत्र (फोत)
      - विष्णु (पुत्र)
      - महेश (पुत्र)
      - विश्रामी (पत्नि)
    - संतरा (पुत्र)
  - श्रीनारायण (पुत्र)
    - रामबिलास (पुत्र)
    - कैलाश (पुत्र)

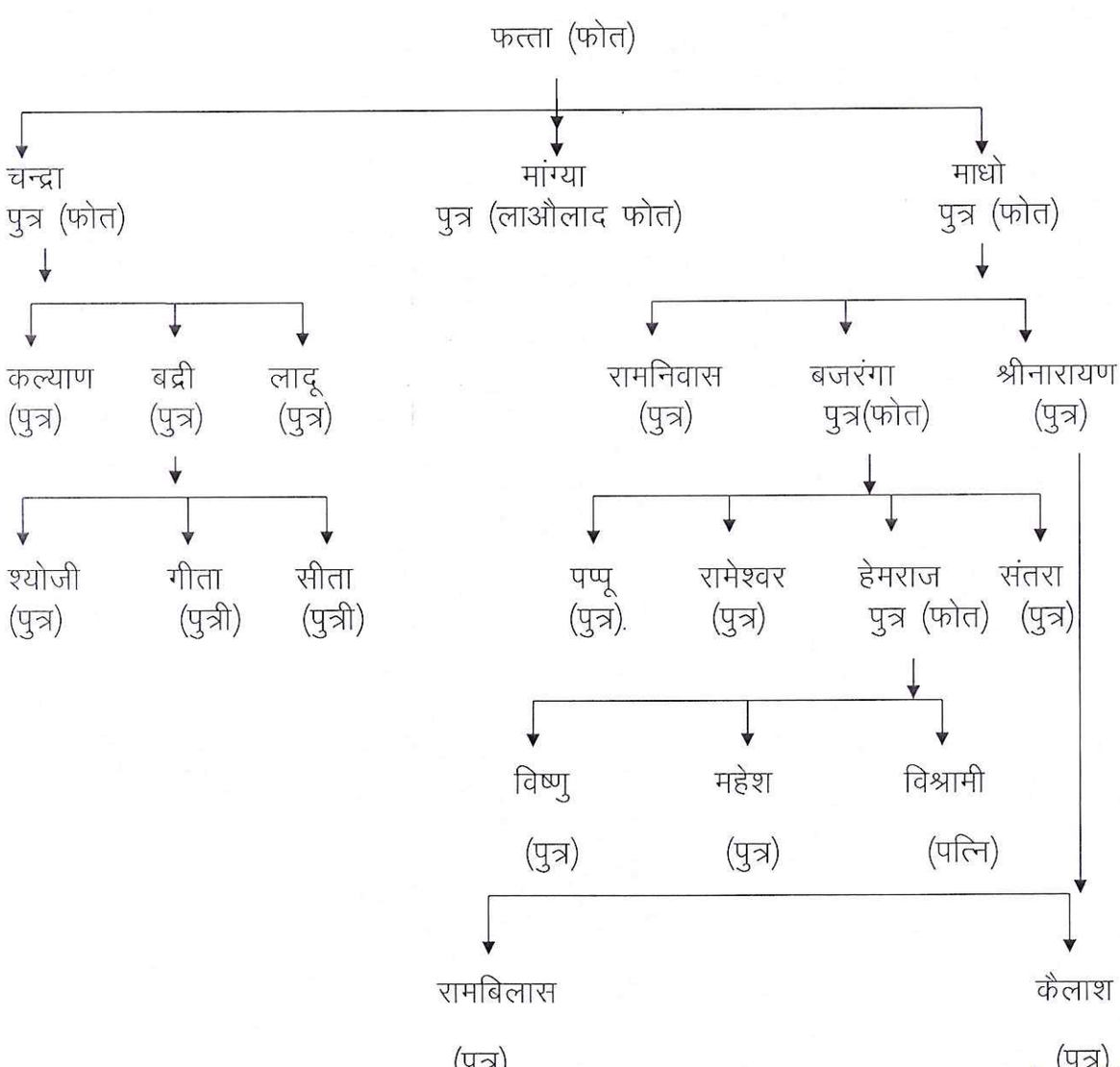

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

✓ वास्तविकता यह है कि वास्तविकता यह है कि फत्ता के पुत्र मांग्या के कोई औलाद नहीं थी और वह लाऔलाद फौत हो गया और शिवाड की उक्त विवादित आराजीयात फत्ता के मरने के बाद उसके बडे पुत्र मांग्या के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ और जब मांग्या का देहान्त हुआ तब आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1267 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 1268 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम शिवाड का फत्ता के दो लड़को चन्दा व माधो के वारिसान कल्याण, बद्री लादू, श्रीनारायण, बजरंगा, रामनिवास के नाम हिस्सा बराबर 1/6–1/6 का नामान्तकरण संख्या 637 दिनांक 10.03.1980 तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गये और उक्त संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की पुश्तैनी आराजी पर हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

✓ अभी हाल में हुऐ सेटिलमेन्ट के दौरान उक्त साबिक खसरा नम्बर 1267 व 1268 के नवीन खसरा नम्बर 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135 3138, 3139, 3136, 3137, 3140, 3141, 3144, वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड ए बनाये गये है।

✓ प्रार्थीगण के पिता कल्याण के पिता का नाम बन्दा है लेकिन चूंकि कल्याण एक चालाक किस्म का व्यक्ति होने एवं परिवार में बढ़ा होने के कारण कल्याण ने फर्जी एवं जाली तरीके से अपने आपको मांग्या का पुत्र बताकर तत्कालीन ग्राम पीपल्या वर्तमान ग्राम पार्वती नगर की पुश्तैनी आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 05.06.1972 को हिस्से 1/3 का तस्दीक करवा लिया जिसकी विपक्षीगण को जानकारी होने पर उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध एक अपील श्रीमान न्यायालय में उनवानी रामनिवास बनाम श्योजी प्रस्तुत की जो विचाराधीन है।

✓ प्रार्थीगण के पिता कल्याण के पिता का नाम चन्दा है इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ग्राम पीपल्या के साबिक खसरा नम्बर 798/14 में दिनांक 21 10. 1975 को 5 बीघा भूमि का कल्याण के नाम आवंटन हुआ जिसमें कल्याण के पिता का नाम चन्दा है और उसका राजस्व रिकार्ड में कल्याण पुत्र चन्दा के नाम के इन्द्राजात है जो इस बात का प्रतीक है कि कल्याण के पिता का नाम चन्दा है मांग्या नहीं है लेकिन प्रार्थीगण अपने नाम हुऐ गलत इन्द्राजात का नाजायज लाभउठाकर मिन विपक्षीगण की ग्राम शिवाड की आरजीयात को हड़पना चाहता है जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है।

✓ विवादित आराजीयात में से प्रार्थी श्योजी व सीता ने अपने हिस्से की आराजीयात कन्हैयालाल प्रजापत व दुर्गालाल प्राजापत पिसरान गंजानन्द प्रजापत निवासीयान शिवाड को दिनांक 26.08.2020 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है परन्तु प्रार्थीगण ने उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। जबकि वह आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रकरण में NON JOINDER OF PARTIES का नुक्स होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

✓ प्रार्थीगण श्योजी व सीता उक्त विवादित आराजीयात में अपने हिस्से का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर चुके है उनका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है इसलिए उनको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

✓ प्रार्थीगण व मिन विपक्षीगण अपने अपने हिस्से पर वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा एक दूसरे की खातेदारी भूमि में आज तक कोई विवाद किसी तरह का नही हुआ हैं लेकिन अब प्रार्थीगण के मन में बदयान्ती और बेइमानी आ जाने के कारण अपने आपको मांग्या का वारिस

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

बताकर यह झुठा एवं मनगढन्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है।

- ✓ मिन विपक्षीगण जो कि विवादित आराजीयात के RCORDED KHATEDAR काश्त कार है तथा अपने हिस्से की भूमि पर शांति पूर्वक काबिज चले आ रहे है। जबकि प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात से कोई ताल्लुक या वास्ता नही होते हुऐ भी उन्हीने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जो निरस्त होने योग्य है और यदि आराजीयात को कुर्क कर लिया जाता है तो मिन विपक्षीगण को विकट आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा तथा भुखे मरने की स्थिति पेदा हो जावेगी।

- ✓ प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र विवादित आराजीयात को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त करने का प्रस्तुत किया है जिसमें ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। कि जिसके आधार पर विवादित आरजीयात कुर्क की जा सके। साथ ही कानून की भी यह मंशा कतई नहीं है कि एक रिकार्डड खातेदार काश्तकार को गलत एंव निराधार तरीके से बेकब्जा किया जा सके। इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

- ✓ अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र मिन विपक्षीगण के विरुद्ध मय खर्च के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

4. बकुलाय बहस सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित कथनो का दोहरान किया।

5. मैंने उभयपक्षों के अधिवक्तागण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. वकील प्रार्थीगण ने कथन किया है कि मंगल्या की पत्नि झूमा को भी फोत बताते हुऐ दिनांक 08.02.2022 को विरासत का नामांतकरण 1312 बिना किसी जांच व साक्ष्य के भरा गया इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय तथ्य यह कि झूमा के एकमात्र पुत्र बद्री को भी फोत होना बताते हुए बद्री की पुत्री गड़ूली पुत्र राजाराम व शोभाराम के पक्ष में विरासत खोली गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साबिक जमाबंदी में जो गंगल्या के नाम की प्रविष्टि की थी वह फत्या का पुत्र न होकर रोहू का पुत्र था जिसके न तो झूमा पत्नि थी और न बद्री पुत्र था। इस तरह सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी व गलत होने से नामांतकरण संख्या 1312 दिनांक 07.03.2022 निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण कमजोर तबके के साथ ही ग्रामीण वृद्ध महिलाए है जिन्हे न्यायालय से संरक्षण नही मिला तो विपक्षीगण बाहुबल के आधार पर कानूनी प्रकिया पर हावी हो जायेगे। इसलिए मौके की स्थिति व प्रार्थीगण की कमजोर स्थिति को देखते हुये खाता संख्या 614, 615 पटवार हल्का शिवाड ए. को कब्जे राज में [illegible] पर रिसीवर नियुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीगण ने [illegible] आराजीयात को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त करने का प्रस्तुत किया है जि[illegible] ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। कि जिसके आधार पर विवादित आरजीयात कुर्क की जा सके। साथ ही कानून की भी यह मंशा कतई नहीं है कि एक रिकार्डड खातेदार काश्तकार को गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

एंव निराधार तरीके से बेकब्जा किया जा सके। इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है–

- (2022 आर.बी.जे. 405) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर (निगरानी नव्या वगै0 बनाम रणजीत) एकल पीठ श्री श्रवण कुमार बुनकर माननीय सदस्यः– धारा 212– अप्रार्थी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है व भूमि व उसका कब्जा है, तब यह नहीं कहा जा सकता कि भूमि इन मीडियों (अधरझूल) में है, रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थीगण ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 02.12.2024 के खाता संख्या 614 व 615 का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा एक उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मु0नं0 50/2024 उनवान श्योजी वगै0 बनाम लादू वगै0 अन्तर्गत 88 एवं 188 आर0टी0 एक्ट का पेश किया हुआ है, जिसमें वादीगण द्वारा ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 02.12.2024 के खाता संख्या 614 व 615 की खातेदारी चाहने हेतु समान पक्षकारान का पेश किया हुआ है। चूंकि वादीगण उक्त विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है एवंद कब्जे संबंधी विवाद का विनिश्चय मूल वाद में साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वकील अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उल्लेखित न्यायिक द्वष्टान्त एवं विधिक प्रावधानों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन करने पर प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दिये गये विधिक तर्को की पुष्टि होती है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)